ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 17/2025

दिनांक मरजुआ : 24–03–2025

ं फरीकदोयम ।

उनवान मुकदमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम, निवासी गांव शनाह, डाकघर कोयल, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

मोहर ।

प्रार्थना पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम, निवासी गांव शनाह, फाटी नित्थर, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री हरु लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम है। ग्राम पंचायत नित्थर के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान—पत्र में धर्म दास दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री हरु के स्थान पर धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम दूरुस्त करने के आदेश चाहे है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह के स्थान पर धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 14–07–2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री संजय कुमार पुत्र श्री कालू राम पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम–आम जनता

श्री संजय कुमार पुत्र श्री कालू राम पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलोकुहल के राजस्व अभिलेख में अपने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन किया है कि उक्त दोनों राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम संन्जू/संजीव कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरा नाम संजय कुमार है जोकि सही व दुरुस्त है। जिस कारण आवेदक अपना नाम संन्जू उर्फ संजय कुमार पटवार वृत्त बड़ाग्रां व पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। जिस बाबत आवेदक ने आधार काड, पैन कार्ड, परिवार नकल, जमाबन्दी, ब्यान हल्फिया तथा रिपोर्ट उप–प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त बड़ाग्रां व रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त पतलीकुहल लिखित ब्यान आवेदक से पाया गया कि आवेदक का सही नाम संजय कुमार है और उक्त नाम को पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री सन्जू उपनाम श्री संजय कुमार के नाम दुरुस्ती पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05 जुलाई, 2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मोहर ।

# ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री धन बहादुर त्रिपाठी पुत्र श्री जय बहादुर त्रिपाठी, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री धन बहादुर त्रिपाठी पुत्र श्री जय बहादुर त्रिपाठी, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री अनिता त्रिपाठो का जन्म 06—03—2014 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि अनिता त्रिपाठी पुत्री श्री धन बहादुर की जन्म तिथि 06—03—2014 हे तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अनिता त्रिपाठी पुत्रो श्री धन बहादुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

# ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री फुरपा सांगो पुत्र श्री दसांग तमांग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री फुरपा सांगो पुत्र श्री दसांग तमांग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र श्री आयुष का जन्म 27—01—2010 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत शलीन के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आयुष पुत्र श्री फुरपा सागो की जन्म तिथि 27—01—2010 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आयुष पुत्र श्री फुरपा सांगो की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शलीन के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मोहर ।

मोहर ।

# ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर बडाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर बडाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म 17—09—1974 को हआ है, परन्तु ग्राम पंचायत बडाग्रां के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ग्राम पंचायत बडाग्रा तथा क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम की जन्म तिथि 17—09—1974 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बडाग्रां के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मोहर ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री शेर सिंह पुत्र श्री डीनू राम, निवासी गांव कुंलग, डाकघर पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम–आम जनता

श्री शेर सिंह पुत्र श्री डीनू राम, निवासी गांव कुंलग, डाकघर पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपने दादा स्व0 श्री सुरतू की मृत्यु का पंजीकरण करने बारे आवेदन–पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके दादा श्री सुरतू की मृत्यु दिनांक 12—12—1978 को हुइ है परन्तु यह ग्राम पंचायत पलचान के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आवेदक के दादा की मृत्यु तिथि 12—12—1978 है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को स्व0 श्री सुरतू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत पलचान के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मोहर ।

# ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव व डाकघर वुरुआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

#### आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव व डाकघर वुरुआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 07—01—1971 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत वुरुआ के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम की जन्म तिथि 07—01—1971 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत वुरुआ के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व माहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती अनिता शेरपा पत्नी श्री फुरपा शेरपा, निवासी भोटीकोशी, वार्ड नं० 1, सिन्धपाल चौक नेपाल, हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—–प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अनिता शेरपा पत्नी श्री फुरपा शेरपा, निवासी भोटीकोशी, वार्ड नं० 1, सिन्धपाल चौक नेपाल, हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री सोनम छुकी शेरपा का जन्म 22–11–2018 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत शलोन के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी सोनम छुकी शेरपा पुत्री श्री फुरपा शरपा की जन्म तिथि 22–11–2018 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी सोनम छुकी शेरपा पुत्री श्री फुरपा शेरपा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शलीन के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/– कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

### In the Court of Executive Magistrate Anni, Distt. Kullu (H.P.)

. . Applicant.

Purshotam Singh

Vs

General Public

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

मोहर ।

.. Respondent.

Sh. Purshotam Singh s/o Sh. Pune Ram, Village Thanach, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event born on 30-06-1968, has not been entered in the record of Gram Panchayat Lajheri.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Sh. Purshotam Singh s/o Sh. Pune Ram, Village Thanach, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. born on 30-06-1968, in the Panchayat record of Gram Panchayat Lajheri, Tehsil Anni, District Kullu, H.P., he/she/they may file his/her/their objection on or before 25-07-2025, before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th of May, 2025.

Seal.

Sd/-Executive Magistrate Anni, Distt. Kullu (H.P.).

. . Applicant.

.. Respondent.

## In the Court of Executive Magistrate Anni, Distt. Kullu (H.P.)

Bale Ram

Vs

General Public

Subject.—Notice Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.

Sh. Bale Ram s/o Sh. Jarbu, Village Karshala Phatti, Karshaigad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein he is owner of the land in Phati Karshaigad of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct *i.e.* Balea Ram s/o Sh. Jarbu. The applicant has attached Copy of Aadhar Card, Nakal Parivar Register, alongwith an affidavit wherein, the name of the applicant's name has been shown as Bale Ram s/o Jarbu.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Sh. Bale Ram s/o Sh. Jarbu, Village Karshala Phatti, Karshaigad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. Sh. Bala Ram s/o Sh. Jarbu instead of Bale Ram s/o Sh. Jarbu then he may file his objection before the undersigned before 25-07-2025, an any working day. Failing which the *ex-parte* order with regards to correction of name will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th of May, 2025.

Seal. Sd/-

Ic

Distt. Kullu (H.P.).